कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 52 / 2021

दायर दिनांक – 04.10.2021

निर्णय दिनांक – 24.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021 / 123

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती चान्दा देवी पत्नी श्री मदनसिंह जाति रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री निर्मल कुमार जैन, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थिया के आराजी कृषि भूमि के दक्षिण में स्थित खसरा नंबर 996 रकबा 0.31 गै.मु.रास्ता को राजस्व नक्शा सन् 1970–71 के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा 1981–82 में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

ग्राम कानस पटवार हल्का कानस तहसील पुष्कर स्थित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्किंग खसरा सं0	रकबा	वर्तमान खसरा सं0	रकबा
1029	0.22	975 / 13	0.22
1030 मिन	0.01	975 / [illegible]	0.01
1030 मिन	0.24	975	0.24
1032 मिन	0.06	985	0.10
1033	0.04	985	0.04

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

[illegible]	0.03	986	0.10
[illegible]	0.07	986	0.07
[illegible]32 मिन	0.06	984 / 1468	0.06
1037	0.16	995 / 1385	0.16
1038 मिन	0.02	994	0.08
1039 मिन	0.02	994	0.02
1040 मिन	0.04	994	0.04
1038 मिन	0.03	995	0.13
1039 मिन	0.02	994	0.02
1040 मिन	0.08	995	0.08
1031 मिन	0.12	984	0.12
1031 मिन	0.01	984 / 1469	0.01
1041 मिन	0.02	984 / 1470	0.02
1035	0.21	987	0.21

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2330 दिनांक 15.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " ग्राम कानस के हाल खसरा नम्बर के साबिक वर्किंग खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		साबिक	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
975	0.24	1030 मि.	0.24
975 / 1313	0.22	1029	0.22
975 / 1401	0.01	1030 मि.	0.01
985	0.10	1032 मि. 1033	0.06 0.04
986	0.10	1033 मि. 1034	0.03 0.07
984 / 1468	0.06	[illegible]	0.06
995 / 1385	0.16	[illegible]	0.16
994	0.08	1038 [illegible] [illegible] [illegible]	0.02 [illegible] 0.04
995	0.13	1038 मि. 1039 मि.	0.03 0.02

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

		1040 मि.	0.08
[illegible]	0.12	1031 मि.	0.12
[illegible]/1469	0.01	1031 मि.	0.01
982/1470	0.02	1031 मि.	0.02
987	0.21	1035	0.21

ग्राम कानस के राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 93 में खसरा नम्बर 975 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 975/1313 रकबा 0.22, 975/1401 रकबा 0.01, चान्दा देवी पत्नी मदनसिंह जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 95 में खसरा नमबर 984/1468 रकबा 0.06, 985 रकबा 0.10 चान्दा देवी पत्नी मदन सिंह हि. 487/588 एवं अन्य सह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 222 में खसरा नमबर 986 रकबा 0.10 चान्दा देवी पत्नी मदनसिंह हि. 23/28 एवं अन्य सह खातेदार दर्ज है। खता संख्या 94 में खसरा नम्बर 987 रकबा 0.21, 994 रकबा 0.08, 995 रकबा 0.13 चान्दा देवी पत्नी मदन सिंह हि. 79/80 एवं नाथी पुत्री रामा हि. 1/80 जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 96 में खसरा संख्या 995/1385 रकबा 0.16 हैक्टेयर पर चान्दा देवी पत्नी मदनसिंह हि. 79/80 एवं नाथी पुत्री रामा हि. 1/80 जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 297 में खसरा नम्बर 984 रकबा 0.12, 984/1469 रकबा 0.01, 982/1470 रकबा 0.02 पर वादीया चान्दा देवी का नाम दर्ज नहीं है अपितु अन्य खातेदार के नाम दर्ज है।

बिन्दु संख्या 01 के विवरण अनुसार ग्राम कानस के हाल खसरा नबरान 975, 975/1313, 975/1401, 985, 986, 984/1468, 995/1385, 994, 995, 984, 984/1469, 982/1470, 987 के वर्किंग खसरा नम्रान 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040 के हाल राजस्व नक्शा ट्रेस तथा साबिक राजस्व नक्शा ट्रेस का परस्पर मिलान करने पर इनका मिलान सही है।

ग्राम कानस के हाल खसरा संख्या 996 रकबा 0.31 किस्म गै.मु.रास्ता के साबिक खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.14, 1149 मि. रकबा 0.17 हैक्टेयर थे। ग्राम कानस के हाल खसरा संख्या 996 रकबा 0.31, हैक्टेयर जमाबन्दी के खाता संख्या 377 में अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम दर्ज है जो कि गै.मु. रास्ता दर्ज है। जिसके हाल राजस्व नक्शा ट्रेस एवं साबिक राजस्व नक्शा ट्रेस का [illegible] भिन्नता है। बिन्दु संख्या 02 एवं 01 अनुसार वाद पत्र में उल्लेखित हाल खसरा [illegible] नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार साबिक खसरा [illegible] नम्बरान का क्षेत्रफल परस्पर बराबर है तथा क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है। बिन्दु संख्या 04 में दर्ज विवरण अनुसार हाल खसरा नम्बर 996 बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित खाबिक खसरा नम्बरान में से किसी भी नम्बर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...अंशत नहीं बने है। अपितु हाल खसरा नम्बर 996 साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 1036 ... से मिलकर बने है।

बिन्दु संख्या 04 में क्रम में निवेदन है कि साबिक राजस्व नक्शा ट्रेस तथा हाल राजस्व नक्शा ट्रेस के तुलनात्मक मिलान से वादीया के हाल खसरा नम्बर 984, 984/1468, 985, 986 के दक्षिणी सीमा तथा मूल खसरा नम्बरान से लगता हुआ खसरा नम्बर 996 की उत्तरी सीमा में आंशिक भिन्नता है, जिसकी साबिक नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। जिसकी प्रस्तावित शुद्धि संलगन राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्ज कर दी गई है। नियमानुसार प्रस्तावित शुद्धि अभिशंषनीय है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित प्रार्थिया के आराजी कृषि भूमि 984, 984/1468, 985, 986 के दक्षिण में स्थित खसरा नंबर 996 रकबा 0.31 गै.मु.रास्ता को राजस्व नक्शा सन् 1970–71 के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा 1981–82 में दुरूस्त कर तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर के हाल खसरा नम्बर 984, 984/1468, 985, 986 के दक्षिणी सीमा तथा मूल खसरा नम्बरान से लगता हुआ खसरा नम्बर 996 की उत्तरी सीमा में आंशिक भिन्नता है, जिसकी साबिक नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में दुरूस्ती कर तरमीम किया जावें (संलग्न नक्शा ट्रेस को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
पुष्कर (अजमेर)